

6

शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (569) आकाशि/नि.स./2012/ 2/28

दिनांक:- 10/08/2014

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017-18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर पूर्वसंचालित संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संकाय/विषय
प्रिन्स कॉलेज, ग्राम पालवास, बाया टाटवणा, तह. बोद, जिला-सीकर।	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषयों सहित- कला संकाय-मृगोल, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। विज्ञान संकाय- भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, गणित।

- संबन्धित विश्वविद्यालय एवं बी०सी०आई० से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजीसी अर्हतावाली अध्यापक एवं अध्यापिकाओं तथा निर्धारित मानक अनुसूची के अनुसार स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था को समय-2 पर यूजीसी/राज्य सरकार/आयुक्तालय कालेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा संवत्सन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
- संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को अत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।

संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।

- संस्था का नाम को राष्ट्रीय NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- विभिन्न महाविद्यालय को बी०सी०आई० के नियमों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था अपने वेबसाइट www.dte.rajasthan.gov.in के अलावा www.dte.rajasthan.gov.in से संस्था की सूचना एक महाविद्यालय वेबसाइट पर भी निर्धारित अवधि में पूर्ण सचनानुसार अपडेट करनी होगी।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिनों में website address की सूचना देगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को निलंबित करवाकर DCF-III (Data Capture format) भरकर पोस्टल अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसका Hard copy आगामी 15 दिनों में आयुक्तालय में प्रस्तुत करे। इस शर्त के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी आगामी जून एवं अगस्त को अपलोड हो सकेगी।

- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करते पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को अत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

(Signature)

- संस्था के निम्नलिखित सभी संकायों एवं अध्यापकों की सेवाएँ हेतु प्रेषित है।
- संस्था को स्थायी मान्यता प्रदान करने हेतु कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में आवेदन करने के लिए संस्था को कालेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर में जिला-सीकर, सीकर।
- कुल सचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
- सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- साक्षिका शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित-सचिव।

Principal
PRINCE'S COLLEGE

प्रिन्स इंटरनैशनल एकेडमी संस्था
पालवास, बाया, सीकर
President
Prince International Academy Sanstha
Palwas Road, SIKAR

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (569)आकाशि/नि.सं./2012/428

दिनांक:- 09/05/18

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2018-19 से स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	नवीन विषय
प्रिंस इंटरनेशनल एकेडमी संस्था, पालवास रोड़, सीकर।	प्रिंस कॉलेज, ग्राम-पालवास, वाया-टाटनवा, तह. धौद, सीकर।	पं० दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	स्नातकोत्तर स्तर पर- एम.ए.- अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान। एम.एस.सी.-भौतिकशास्त्र, गणित, रसायन विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र।

- संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेंगी।
 - आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
 - संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
 - संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
 - संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
 - संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
 - संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
 - राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
 - संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
 - राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2018-19 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
 - संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
 - मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।
- उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

9/5
आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, सीकर। - 332001
- कुल सचिव, पं० दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
- सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली

Secretary
Prince International Academy, Rajastha
Palwas Road, SIKAR

19/5
संयुक्त-निर्देशक (नि०सं०)
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर